

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 1973/अग्रहायण 2, 1895

No 278] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 1973/AGRAHAYANA 2, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November 1973

G.S.R. 504 (E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Border Security Force (Assistant Commandants) Recruitment (Repeal) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Repeal and Saving.**—The Border Security Force (Assistant Commandants) Recruitment Rules, 1969 are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect any order made or action taken under the said rules, before such repeal.

[No. 10/1/72-CLO/BSF(Pers. I)]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1973

सा० का० नि० 504(अ).—सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम सीमा सुरक्षा बल (सहायक कमान्डेन्ट) भर्ती (निरसन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और ध्यावृत्ति.—सीमा सुरक्षा बल (सहायक कमान्डेन्ट) भर्ती नियम, 1969 निरसित किये जाते हैं :

परन्तु ऐसे निरसन का उक्त नियम के अधीन ऐसे निरसन के पूर्व दिग, गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० 10/1/72—सी०एल०ओ०/बी०एस०एफ० (पर्स 1)]

मी० जी० सोमियाह, सयुक्त सचिव ।